Fourteenth Loksabha

Session : 9
Date : 14-12-2006

Participants : Munshiram Shri

>

Title: Need to fulfill the demand of SC/ST employees of R.P.F. for the registration of their Union as 'All India SC/ST Railway Protection Force Welfare Association - laid.

श्री मुंशी राम (बिजनौर) : महोदय, इस समय भारतीय रेलवे में रेल कर्मचारियों की राट्रीय स्तर पर ए.आई.आर.एफ तथा एन.एफ.आई.आर नाम ट्रेड यूनियन कार्यरत हैं। इस ट्रेड यूनियन में अनु0जाति/जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोग भी शामिल हैं। इसके बावजूद भी यह यूनियन इनके हितों को नजरअंदाज करती है। इसलिए उपरोक्त वर्ग के लोगों ने भी अपनी अलग एसोसिएशन बनायी, जिससे इनके कार्यो का निपटारा होने लगा। इसी तरह से रेलवे सुरक्षा बल में आल इंडिया आर.पी.एफ एसोसिएशन नामक संगठन कार्यरत है। इस संगठन में भी अनु0 जाति/जनजाति के लोग शामिल हैं। परन्तु उपरोक्त एसोसिएशन द्वारा उपरोक्त वर्ग के कर्मचारियों के हितों को भी नरजअंदाज किया जा रहा है। इसीलिए उपरोक्त वर्ग के कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए अखिल भारतीय अनु0 जाति/जनजाति, रेलवे सुरक्षा बल वेलफेयर एसोसिएशन की मांग की गयी है, जिसके समर्थन में विभिन्न पार्टियों के सांसदों ने माननीय रेल मंत्री व रेलवे के वरिठ अधिकारियों को पत्र लिखे हैं। स्वयं मैंने भी उपरोक्त एसोसिएशन को मान्यता देने के लिए पत्र लिखा था। किंतु अधिकारियों द्वारा यह कहा गया कि रेलवे सुरक्षा बल में अधिक संगठन बनाना संभव नहीं है, जो कि तर्कसंगत नहीं है। भारत के संविधान के अनुछेद 19 सी में व्यवस्था है कि कोई भी समूह या व्यक्तियों का समूह एसोसिएशन बना सकता है। इसलिए मैं सदन के माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि रेलवे सुरक्षा बल में अनु0 जाति/जनजाति के रेल कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए अखिल भारतीय अनुसूचित जाति, जनजाति, रेलवे सुरक्षा बल, वेलफेयर एसोसिएशन को भी अन्य एसोसिएशन की भांति पंजीकृत किया जाये।